

93

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र. क्र. /2017-18
नगरानी - 4815/2018/देवास/भूरा

श्री. श्री. - दे. देवास की. प्र.
33000 नम- 42
प्र. क्र. 22/6/18

R. K. Vyas
Advocate
67975

1. प्रहलादसिंह पिता स्व. भंवरसिंह जी नटेरिया उम्र 78 साल जाति धाकड़ कृषक सोनकच्छ निवासी बागली जिला-देवास (म.प्र.)
2. अर्जुनसिंह पिता स्व. शंकरसिंहजी नटेरिया उम्र 28 साल जाति धाकड़ कृषक सोनकच्छ निवासी धाकड़ कालोनी, सृष्टि होटल के पास, भोपाल रोड देवास जिला-देवास (म.प्र.)
3. धर्मेन्द्रसिंह पिता स्व. शंकरसिंहजी नटेरिया उम्र 25 साल जाति धाकड़ कृषक सोनकच्छ निवासी धाकड़ कालोनी, सृष्टि होटल के पास, भोपाल रोड देवास जिला-देवास (म.प्र.)
4. कमलाबाई विधवा पति स्व. शंकरसिंहजी नटेरिया उम्र 56 साल जाति धाकड़ कृषक सोनकच्छ निवासी धाकड़ कालोनी, सृष्टि होटल के पास, भोपाल रोड देवास जिला-देवास (म.प्र.)
5. विक्रमसिंह पिता स्व. भंवरसिंह जी नटेरिया उम्र 61 साल जाति धाकड़ कृषक एवं निवासी कालीसिन्ध मार्ग, सोनकच्छ, जिला-देवास (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. लाखनसिंह पिता स्व. मोतीसिंह जी सेन्धव उम्र 61 साल व्यवसाय लाईनमेन एम पी.ई.बी. निवासी प्रगति नगर सोनकच्छ, जिला-देवास (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा रजस्व निरीक्षक वृत्त 2 सोनकच्छ तेहसील सोनकच्छ जिला-देवास (म.प्र.)

गैरपुनरीक्षणकार



पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. के अधीन

{माननीय अधिनस्थ राजस्व पदाधिकारी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 सोनकच्छ जिला-देवास के अवैध विधि विरुद्ध सीमांकन दिनांक 22/05/2018 23/05/2018 व प्रतिवेदन सीमांकन दिनांक 28/05/2018 के विरुद्ध}

निरंतर-2.

(Handwritten signature and scribbles)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4815/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	